अध्याय–1
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2012-13 के दौरान दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) द्वारा उत्थित कर एवं गैर-कर राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्संबंधी आंकड़े **तालिका 1.1** में दिए गए है :

तालिका 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	**राज्य सरकार द्वारा उत्थित राजस्व**					
कर राजस्व		12,180.70	13,447.85	16,477.75	19,971.67	23,431.52
गैर–कर राजस्व		2,300.72	3,467.40	4,188.95	460.87	626.93
कुल		**14,481.42**	**16,915.25**	**20,666.70**	**20,432.54**	**24,058.45**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
सहायता अनुदान		1,870.79	3,536.08	4,357.40	1,960.64	1,502.52
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1तथा 2)**	**16,352.21**	**20,451.33**	**25,024.10**	**22,393.18**	**25,560.97**
4.	1 से 3 तक की प्रतिशतता	**89**	**83**	**83**	**91**	**94**

स्रोतः वेतन एवं लेखा कार्यालय, दिल्ली

राज्य सरकार द्वारा राजस्व वृद्धि कुल राजस्व की 94 प्रतिशत थी तथा शेष छः प्रतिशत भारत सरकार से सहायता अनुदानों के रूप में प्राप्त थीं। पूर्व वर्ष की तुलना में कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व में वृद्धि क्रमशः 17.32 प्रतिशत तथा 36.03 प्रतिशत थी।

1.1.2 वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान उत्थित कर राजस्व विवरण **तालिका 1.2** में दिया गया है:

तालिका 1.2
उत्थित कर राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011–12 की अपेक्षा 2012–13 में वृद्धि (+) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार कर इत्यादि	9,152.09	10,126.01	12,068.62	13750.95	15,803.68	**(+)14.93**
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,420.91	1,643.56	2,027.09	2,533.72	2,869.74	**(+)13.26**
3.	स्टांम्प तथा पंजीकरण शुल्क	788.01	929.97	1,355.75	2,240.25	3,098.06	**(+)38.29**
4.	वाहनों पर कर	419.12	462.65	707.55	1,049.19	1,240.18	**(+)18.20**
5.	अन्य कर	400.57	285.66	318.74	397.55	419.85	**(+)05.61**
कुल		**12,180.70**	**13,447.85**	**16,477.75**	**19,971.66**	**23,431.51**	**(+)17.32**

स्रोतः वेतन एवं लेखा कार्यालय, दिल्ली

संबंधित विभागों ने अंतर के निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किए:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर : वृद्धि राजस्व की सामान्य बढ़ोतरी थी।

राज्य उत्पाद शुल्क: राज्य उत्पाद राजस्व मुख्यत 7 जून 2011 से नई उत्पाद संरचना को अपनाने के कारण बढ़ा।

वाहनों पर कर: राजस्व में वृद्धि वाहनों की बिक्री में वृद्धि के कारण हुई।

अन्य विभागों को, यद्यपि अनुरोध किया गया (अगस्त 2013), फिर भी पूर्व वर्ष से इस वर्ष की प्राप्तियों में अन्तर के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया.गया (फरवरी 2014)।

1.1.3 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान उत्थित गैर कर राजस्व के विवरण **तालिका 1.3** में दिये गए हैं:

तालिका 1.3
उत्थित गैर कर राजस्व का उल्लेख

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011–12 की अपेक्षा 2012–13 में वृद्धि (+)/कमी (–) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	2,101.41	3,236.61	3,869.84	174.14	340.03	(+) **95.26**
2.	लाभांश व लाभ	29.92	41.56	46.59	33.00	26.25	**(-) 20.45**
3.	सामान्य सेवाएँ	64.91	93.41	101.84	128.58	143.11	**(+) 11.30**
4.	समाज सेवाएँ	54.53	56.13	61.59	79.48	87.24	**(+) 09.76**
5.	आर्थिक सेवाएँ	49.95	39.69	109.08	45.67	30.31	**(-) 33.63**
कुल		**2,300.72**	**3,467.40**	**4,188.94**	**460.87**	**626.93**	(+) **36.03**

स्रोत: प्राप्तियाँ बजट 2013 तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय, दिल्ली

संबंधित विभागों द्वारा वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान गैर-कर राजस्व में वृद्धि/कमी के यह कारण दिये गए है कि गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ सरकार की नियमित आय नहीं थी लेकिन उनके द्वारा संग्रहित उपयोगी वस्तुओं तथा उपलब्ध सेवाओं व जुर्माने आदि पर भारित थी।

1.2 बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर

वर्ष 2012-13 के लिए कर तथा गैर-कर राजस्व के मुख्य शीर्षों के संबंध में राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहण के बीच अंतर **तालिका 1.4** में उल्लिखित है।

तालिका 1.4
बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विभिन्नता आधिक्य (+)/कमी (–)	विभिन्नता की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	16,500.00	15,803.68	(-) 696.32	(-) 4.22
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	3,000.00	2,869.74	(-) 130.26	(-) 4.34
3.	स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	3,800.00	3,098.06	(-) 701.94	(-) 18.47
4.	वाहनों पर कर	1,370.00	1,240.18	(-) 129.82	(-) 9.48
5.	अन्य कर	487.00	419.85	(-) 67.15	(-) 13.78
गैर–कर राजस्व					
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	473.54	340.03	(-) 133.51	(-) 28.19
2.	लाभांश व लाभ	48.00	26.25	(-) 21.75	(-) 45.31
3.	सामान्य सेवाएँ	130.28	143.11	(+) 12.83	(+) 9.85
4.	सामाजिक सेवाएँ	79.56	87.24	(+) 7.68	(+) 9.65
5.	आर्थिक सेवाएँ	38.16	30.31	(-) 7.85	(-) 20.57

स्रोतः प्राप्तियाँ बजट 2013 और वेतन व लेखा कार्यालय, दिल्ली

संबंधित विभागों द्वारा विभिन्नताओं के लिए बताये गये कारण इस प्रकार हैः

स्टॉम्प तथा पंजीकरण शुल्क : वर्ष 2012-13 में 18.47 प्रतिशत की कमी का कारण कोर्ट निर्णय तथा संपत्ति के स्थानांतरण के मामले में 'जनरल पॉवर ऑफ अटोर्नी' (जी.पी.ए) का अनुमत्य न होना था।

वाहनों पर करः वर्ष 2012-13 में 9.48 प्रतिशत की कमी का कारण लोक वाहनो में से ब्ल्यू लाइन बसों को धीरे–धीरे हटाना था।

गैर-कर राजस्वः पूर्व वर्ष के सितम्बर/अक्टूबर माह में तैयार अनुमान पहले ही पर्याप्त थे तथा ब्याज के मामले में मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में पूर्व वर्ष के दौरान ऋण की कम राशि प्रदान की गई थी।

अन्य विभागों को, यद्यपि अनुरोध किया गया (अगस्त 2013) फिर भी बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अंतरों के कारणों को नहीं बताया गया (फरवरी 2014) ।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में सकल संग्रहण, उनके संग्रहण में किये गए व्यय और ऐसे व्यय का सकल संग्रहण से प्रतिशत, साथ ही वर्ष 2011-12 के लिए सकल संग्रहण के संग्रहण पर व्यय की संबंधित अखिल औसत प्रतिशतता **तालिका 1.5** में दी गई हैः

तालिका: 1.5
संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण की लागत	संग्रहण पर संग्रहण की लागत की प्रतिशतता	वर्ष 2011–12 के लिए संग्रहण की लागत पर अखिल भारतीय औसत
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2010-11	12,068.62	50.69	0.42	1.89
	2011-12	13,750.95	53.67	0.39	
	2012-13	15,803.68	75.70	0.48	
राज्य उत्पाद शुल्क	2010-11	2,027.09	9.44	0.47	2.98
	2011-12	2,533.72	10.79	0.43	
	2012-13	2,869.74	23.67	0.82	
स्टॉम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2010-11	1,355.75	19.30	1.42	0.83
	2011-12	2,240.25	31.60	1.41	
	2012-13	3,098.06	14.57	0.47	
वाहनों पर कर	2010-11	707.55	37.03	5.23	2.96
	2011-12	1,049.19	31.79	3.03	
	2012-13	1,240.18	28.91	2.33	

स्रोत : प्राप्तियाँ बजट 2013 तथा पेतन एवं लेखा कार्यालय, दिल्ली

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2012-13 के दौरान, स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क और वाहनों पर करों के संबंध में लागत संग्रहण में कमी आई जबकि बिक्री, व्यापार इत्यादि तथा राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में लागत संग्रहण में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई।

1.4 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षो के संबंध में ₹ 16,225.47 करोड़ की राशि के राजस्व के विश्लेषण का **तालिका 1.6** में चित्रण किया गया है:

तालिका: 1.6
राजस्व का बकाया

(₹ करोड में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 तक बकाया राशि	5 वर्षों से अधिक की बकाया राशि	टिप्पणी
1.	**बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर**	16,221.30	1,540.28	एक पक्षीय मूल्यांकन तथा विभाग के रिकार्डों में जमा राशि के पुनर्विचार के बिना माँग उत्पन्न की गई।
2.	**राज्य उत्पाद शुल्क**	16.70	3.06	31 मार्च 2013 को ₹ 7.05 करोड़ की माँग अपील के तहत तथा ₹ 5.55 करोड़ की माँग नये सिरे से कर निर्धारण के लिए वापस कर दी गई। उपरोक्त के अतिरिक्त, ब्याज सहित ₹ 4.10 करोड़ की राशि की वसूली भी विभाग के पास लम्बित है।
3.	**स्टॉम्प तथा पंजीकरण शुल्क**	0.05	-	कंपनी द्वारा अंशो को जारी करने में, स्टाम्प कलैक्टर (मु.) द्वारा निर्णित स्टाम्प शुल्क के जमा न करने पर बकाया लम्बित हैं।
कुल		**16,238.05**	**1,543.34**	

1.5 कर निर्धारण में बकाया

वर्ष के प्रारंभ में लम्बित मामलों में, व्यापार एवं कर विभाग तथा राज्य उत्पाद विभाग के द्वारा प्राप्त मामलों में निर्धारण के लिए लम्बित हुए मामले, वर्ष के दौरान निपटाये गए मामले तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने में लम्बित मामलों की जानकारी को **तालिका 1.7** में दिया गया है।

तालिका 1.7
कर निर्धारण में बकाया

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मामले जिनका कर निर्धारण किया जाना था।	कुल लम्बित निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाये गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर लम्बित मामले	निस्तारण की प्रतिशतता (कॉलम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
व्यापार तथा कर विभाग						
2010-11	4945	85360	90305	85720	4585	93
2011-12	4585	144115	148700	146774	1926	98
2012-13	1926	173942	175868	174563	1305	99
राज्य उत्पाद विभाग						
2010-11	1422	854	2276	584	1692	26
2011-12	1692	879	2571	834	1737	32
2012-13	1737	873	2610	687	1923	26

तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य उत्पाद विभाग में निर्धारण के निपटान की प्रतिशतता काफी कम थी तथा 26 तथा 32 प्रतिशत के बीच की रेंज थी तथा व्यापार एवं कर विभाग के मामले में यह 99 प्रतिशत तक पहुँचा था।

1.6 कर अपवंचन

व्यापार तथा कर विभाग द्वारा वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान कर अपवंचन के क्रमशः 1843, 871 तथा 1,292 के मामले पता लगाये गये, विभाग के द्वारा बताये गए अपवंचन के विभिन्न मामलों के अंतर्गत ₹ 1,151.23 करोड़ का कुल अपवंचन इंगित किया गया जिसका विवरण **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.8
कर अपवंचन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भिन्नता के प्रकार	पता लगाई गई राशि
1.	नकद विभिन्नता	37.29
2.	स्टॉक विभिन्नता	564.48
3.	पता लगाये गये अभिग्रहण	549.46
कुल		**1,151.23**

शाखा द्वारा पता लगाए गए मामलों को बाद में विभाग के सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया था।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति विभाग/सरकार के प्रत्युत्तर

1.7.1 लेखापरीक्षा आपत्तियों के तुरंत प्रत्युत्तर में कमी

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली (प्र.म.ले.) निर्धारित नियमों तथा प्रविधियों के अनुसार लेन-देनों की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के रख–रखाव /सत्यता को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं जिनका मौके पर निपटान न हो सके निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) के रूप में अनुवर्ती कार्यवाही होते हैं। इन्हें प्रतिवेदनो में जारी करके शीघ्र उचित कार्रवाई के लिए आगे मुख्य प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति के साथ यह कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किया जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाई गई अभ्युक्तियों को कार्यालयों में प्रमुख/सरकार को शीघ्रातिशीघ्र त्रुटियों एवं अन्य गलतियों को सुधारने के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन की जारी हुई तारीख से एक महीने के भीतर महालेखाकार को अनुपालना प्रतिवेदन भेजना आवश्यक है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों तथा सरकार के प्रमुखों को भेजा जाता है।

दिसम्बर, 2012 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन दर्शाते है कि 624 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 12,224 पैराग्राफों में शामिल ₹ 11,054.77 करोड़ जून 2013 के अंत तक बकाया है जैसा कि विगत दो वर्षों के आँकड़ों के साथ **तालिका 1.9** में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.9
बकाया नि.प्र./पैराग्राफ

	जून, 2011	जून, 2012	जून, 2013
बकाया नि.प्र. की संख्या	360	483	624
बकाया लेखापरीक्षा पैराग्राफों की संख्या	7,867	10,028	12,224
शामिल राशि (₹ करोड़ में)	**6,619.49**	**8,938.03**	**11,054.77**

30 जून 2013 को विभागवार बकाया नि.प्र. तथा बकाया लेखापरीक्षा पैराग्राफों में सम्मिलित धन राशि का उल्लेख **तालिका 1.10** में किया गया है:

तालिका 1.10
विभागवार बकाया नि.प्र./पैराग्राफ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा पैराग्राफों की संख्या	सम्मिलित धन राशि
1.	**व्यापार तथा कर**	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मू.व.क.	499	11,706	10,936.27
2.	**उत्पाद**	राज्य उत्पाद	8	41	61.67
3.	**परिवहन**	मोटरवाहनों पर कर	56	122	20.42
4.	**राजस्व (स्टॉम्प तथा पंजीकरण)**	स्टॉम्प तथा पंजीकरण शुल्क	61	355	36.41
कुल			**624**	**12,224**	**11,054.77**

बड़ी मात्रा में निरीक्षण प्रतिवेदनों का लम्बित होना जवाबों की गैर प्राप्ति के कारण था जो कि दर्शाता है कि लेखापरीक्षा के प्रति तुरंत कार्यवाही के लिए कार्यकारी अधिकारियों की ओर से गंभीरता में कमी थी।

यह सिफारिश कि जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर तुरंत और तर्कसंगत प्रतिक्रिया के लिए एक कारगर कार्यप्रणाली की स्थापना करें और ऐसे कर्मियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करें जो निरीक्षण प्रतिवेदन/पैराग्राफों के निर्धारित समय में जबाव भेजने में असफल रहते है और जो समयबद्ध सीमा में हानि/बकायों की वसूली करने में कोई कार्रवाई करने में विफल रहते है।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार लेखापरीक्षा समितियों का गठन नि.प्र. में पैराग्राफों तथा नि.प्र. निपटान शीघ्रता से पूरा करने एवं अनुवीक्षण करने के लिए करती है। वर्ष 2012-13 के दौरान केवल तीन बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें व्यापार एवं कर विभाग द्वारा कोई पैराग्राफ का निपटान नहीं किया गया।

यह सिफारिश की गई कि सरकार को अधिक बैठकें करनी चाहिए तथा बकाया पैराग्राफों के निपटान हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए।

1.7.3 लेखापरीक्षा की संवीक्षा हेतु अभिलेखों की गैर–प्रस्तुति

विभाग का यह कर्तव्य है कि शीघ्रातिशीघ्र रिकार्ड़ों को प्रस्तुत करें तथा लेखापरीक्षा के सुगम संचालन तथा उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। व्यापार एवं कर विभाग में वर्ष 2012-13 के अंत तक अंतिम तीन वर्षों के रिकॉर्डों के अप्रस्तुतिकरण का ब्यौरा **तालिका 1.11** में दिया गया है:

तालिका 1.11
अभिलेखों का गैर प्रस्तुतिकरण

वर्ष जिसमें लेखापरीक्षा की जानी थी।	मांगी गई फाइलों की संख्या	प्रस्तुत नहीं की गई फाइलों की संख्या	प्रस्तुत न की गई फाइलों की प्रतिशतता
2010-11	8,860	2,982	34
2011-12	7,602	2,526	33
2012-13	8,067	3,312	41
कुल	**24,529**	**8,820**	

यह पाया गया की 2012-13 में अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण 41 प्रतिशत है तथा उपरोक्त मामलों में शामिल राजस्व का पता नहीं लगाया जा सका।

1.7.4 प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर विभागों के प्रत्युत्तर

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई गंभीर तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों (पैराग्राफों) को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षा प्रतिवेदन (नि.म.ले.) में शामिल करने का प्रस्ताव करते हुए प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर देने के अनुरोध सहित प्रधान सचिव/सम्बधित विभागों के सचिवों को अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रेषित किया गया। सरकार से प्रत्युत्तरों की गैर प्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे प्रत्येक पैराग्राफ के अन्त में दर्शाया जाता है।

वर्ष 31 मार्च 2013 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के भाग 'क' में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करते हुए नौ पैराग्राफों तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा, संबंधित विभागों तथा सरकार को छः सप्ताह के भीतर अक्तूबर 2013 तक प्रत्युत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए भेजा गया था। दो पैराग्राफों के सम्बन्ध में प्रत्युत्तर प्राप्त हुए तथा उन्हें पैराग्राफों में शामिल किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा की सरकार/सम्बन्धित विभाग में हुए समापन सम्मेलन में चर्चा की गई।

1.7.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई–संक्षिप्त स्थिति

जब भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जाते है तो विभिन्न विभागों को रिपोर्ट में लिए सभी पैराग्राफों/पुनरीक्षणों पर एक्शन टेकन नोट (ए.टी.एन) लोक लेखा समिति (पी.ए.सी) के विचारार्थ प्रस्तुत करना होता है। ए.टी.एन.को प्रस्तुत करने में अनावश्यक देरी, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को कम करता है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राजस्व प्राप्तियों से संबंधित प्रतिवेदन में शामिल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार के पैराग्राफों एवं पुनरीक्षणों पर बकाया एक्शन टेकन नोट की अक्टूबर 2013 की स्थिति का उल्लेख **तालिका 1.12** में दिया गया है:

तालिका 1.12
बकाया एक्शन टेकन नोट

क्र. सं.	31 मार्च को समाप्त प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफों की संख्या जिनके ए.टी.एन. प्रतीक्षित थे
1.	2008	11	2*
2.	2009	15	15**
3.	2010	18	16*
4.	2011	15	15
5.	2012	17	6*

** एक निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में ए.टी.एन. आंशिक रूप से प्राप्त हुए।*
*** 4 पैराग्राफों पर ए.टी.एन. आंशिक रूप से प्राप्त किए गए*

सरकार को, लंबित एक्शन टेकन नोट्स को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करना चाहिए।

1.7.6 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से अनुपालना

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2007-08 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गये पैराग्राफों के संबंध में, ₹ 263.67 करोड़ के राजस्व को सम्मिलित करते हुए लेखापरीक्षा आपत्तियों को विभाग/सरकार ने स्वीकार किया जिसमें से अगस्त 2013 तक केवल ₹ 2.00 करोड़ वसूल किए गये जिनका विवरण **तालिका 1.13** में दिया गया है:

तालिकाः 1.13
स्वीकृत मामलों के प्रति वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राशि मूल्य	स्वीकृत मामलों का राशि मूल्य	वसूल की गई राशि
2007-08	945.52	28.17	0.18
2008-09	1,729.62	109.00	0.14
2009-10	1,764.20	49.36	0.39
2010-11	1,479.98	58.00	0.06
2011-12	2,363.11	19.14	1.23
कुल	**8,282.43**	**263.67**	**2.00**

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि ₹ 263.67 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करने के उपरांत भी विभाग/सरकार ने केवल ₹ 2.00 करोड़ (0.76 प्रतिशत) की राशि की वसूली की।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार स्वीकृत मामलों में शीघ्र वसूली को सुनिश्चित करें।

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को हल करने के लिए तंत्र का विश्लेषण

विभाग/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए मामलों से निपटने की प्रणाली के विश्लेषण के उद्देश्य से व्यापार तथा कर विभाग के संबंध में पिछले पांच वर्षों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों तथा पुनरीक्षण पर की गई कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया तथा प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

अनुवर्ती पैराग्राफ 1.8.1 से 1.8.2 में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए मामलों में पिछले पाँच वर्षों के दौरान व्यापार तथा कर विभाग द्वारा की गई अनुपालना के निष्पादन तथा वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए गए मामलों पर विचार विमर्श किया गया।

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले पाँच वर्षों के दौरान जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांशीकृत स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल किए गए पैराग्राफों तथा 31 मार्च 2013 को उनकी स्थिति को **तालिका 1.14** में सारणीबद्ध किया गया है:

तालिकाः 1.14
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			वर्ष के दौरान निकासी			वर्ष के दौरान अन्त शेष		
	नि. प्रति.	पैराग्राफ	धनराशि	नि. प्रति.	पैराग्राफ	धनराशि	नि. प्रति.	पैराग्राफ	धनराशि	नि. प्रति.	पैराग्राफ	धनराशि
2008-09	206	2645	1758.51	89	2265	1748.24	6	429	413.39	289	4481	3093.36
2009-10	289	4481	3093.36	108	2972	2900.71	11	301	218.47	386	7152	5775.60
2010-11	386	7152	5775.60	54	2009	1831.89	85	564	434.09	355	8597	7173.40
2011-12	355	8597	7173.40	96	2204	3079.27	24	657	394.02	427	10144	9858.65
2012-13	427	10144	9858.65	104	1610	1209.64	62	520	571.99	469	11234	10496.31
कुल				**451**	**11060**	**10769.75**	**188**	**2471**	**2031.96**			

उपरोक्त सारणी प्रमाणित करती है कि वर्ष 2008-09 के प्रारंभ में ₹ 1,758.51 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ 206 निरीक्षण प्रतिवेदनों में 2645 पैराओं को सम्मिलित करते हुए, विभाग के प्रत्युत्तर के लिए प्रतीक्षित थी। लेकिन पाँच वर्षों की अवधि के बाद अर्थात् 2012-13 के अंत तक निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा पैराओं की संख्या बढ़कर क्रमशः 469 (128 प्रतिशत) तथा 11,234 (324 प्रतिशत) तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों की राशि बढ़कर ₹ 10,496.31 करोड़ (497 प्रतिशत) हो गई। यह दर्शाता है कि विभाग/सरकार ने प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रति पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था।

1.8.2 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

कार्यालय प्रधान महालेखाकार द्वारा संचालित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षाओं को संबंधित विभागों/सरकार को उनकी सूचना के लिए जवाब भेजे जाने के निवेदन सहित अग्रेषित किया गया। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर समाप्ति सम्मेलन में भी विचार किया गया तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निष्पादन लेखापरीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय विभागों/सरकार के विचारों को सम्मिलित किया गया।

पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दिखाए गए व्यापार एवं कर विभाग, पर निष्पादन लेखापरीक्षाओं का उल्लेख **तालिका 1.15** में किया गया है, यद्यपि लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा इनमें से किसी निष्पादन लेखापरीक्षाओं को चर्चा में नहीं लिया गया।

तालिका 1.15

सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

नि.प्र. का वर्ष	पुनरीक्षण का नाम	सिफारिशों की संख्या	स्थिति
2007-08	शाखा स्थानान्तरण/प्रेषण बिक्री के कारण केन्द्रीय बिक्री कर की छूट का निष्पादन मूल्याँकन	4	उत्तर नहीं भेजा गया।
2008-09	निर्माण ठेकों पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा सग्रंहण	3	उत्तर नहीं भेजा गया।
	दिल्ली बिक्री कर से दिल्ली मूल्य वर्धित कर में परिवर्तन	4	उत्तर नहीं भेजा गया।
2010-11	अर्न्तराज्यीय व्यापार तथा वाणिज्यक में घोषणा–फार्म की उपयोगिता	4	उत्तर नहीं भेजा गया।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अन्तर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा की विगत प्रवृत्तियों, अभ्युक्तियों तथा अन्य परिमापों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम इकाईयों में श्रेणीकृत किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें अन्य बातों के अलावा सरकारी राजस्व तथा कर प्रशासन के आलोचनात्मक मामले जैसे बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग की रिपोर्ट (राज्य तथा केन्द्रीय), कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पाँच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के लक्षण, लेखापरीक्षा कवरेज तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान इसका प्रभाव इत्यादि शामिल है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, लेखापरीक्षा के लिए 102 योजनागत इकाईयों में से 96 लेखापरीक्षित थी जो कि कुल इकाईयों का 94 प्रतिशत है।

उपरोक्त उल्लिखित अनुपालना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त एक निष्पादन लेखापरीक्षा कर प्रशासन की क्षमता को जाँचने के लिए भी की गई थी।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.10.1 वर्ष के दौरान संचालित की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2012-13 के दौरान व्यापार तथा कर विभाग, राज्य उत्पाद, मनोरंजन, परिवहन, विलासिता एवं पण तथा राजस्व विभागों की 96 इकाईयों के रिकॉर्डों की नमूना जाँच 2,238 मामलों में ₹ 2,041.32 करोड़ के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/ राजस्व की हानि इत्यादि को दर्शाती है। सम्बंधित विभागों ने लेखापरीक्षा वर्ष 2012-13 के दौरान तथा पूर्व वर्षों द्वारा इंगित 627 मामलों में सम्मिलित ₹ 50.46 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने वर्ष 2012-13 के दौरान छः मामलों में ₹ 5.61 लाख की वसूली की।

1.10.2 भाग 'क' (राजस्व अध्याय) का विषय

इस राजस्व अध्याय में एक निष्पादन लेखापरीक्षा 'स्टाम्प का संग्रहण व उद्ग्रहण तथा पंजीकरण शुल्क' तथा दो पैराग्राफ है जिसमें ₹ 536 करोड़ के वित्तिय प्रभाव शामिल करते हुए कम/कर का गैर-उद्ग्रहण, ब्याज इत्यादि के अतिरिक्त कुछ प्रणालीगत व अनुपालन कमियों को इंगित किया गया है इन की चर्चा प्रतिवेदन के अध्याय-II में की गई है।